



राज्य-स्वामित्व वाली मीडिया हेतु चुनाव नयिम

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो वपिक्षी नेताओं ने एक राज्य-स्वामित्व वाले मीडिया चैनल पर चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान उनके भाषणों को सीमति करने का आरोप लगाया।

- हालाँकि, [प्रसार भारती के अधिकारी](#) के अनुसार, टेलीवज़िन और रेडियो नेटवर्क चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त दलों द्वारा राज्य मीडिया के उपयोग के संबंध में [भारत नरिवाचन आयोग \(Election Commission of India- ECI\)](#) द्वारा नरिधारति नयिमों का पालन कर रहे थे।

राज्य-स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के लिये क्या नयिम हैं?

- राज्य मीडिया पर समय का आवंटन:
 - वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले टेलीवज़िन और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
 - चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ECI प्रत्येक मान्यता प्राप्त [राष्ट्रीय और राज्य सत्रीय दल](#) के लिये समय आवंटन तय करता है।
 - राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मिलते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर 10 घंटे और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे भी दिये जाते हैं।
 - राज्य दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे मिलते हैं।
- भाषण सामग्री पर दशानरिदेश:
 - राजनीतिक दलों और वक्ताओं को संबंधित [ऑल इंडिया रेडियो \(All India Radio- AIR\)](#) और [दूरदर्शन \(Doordarshan- DD\)](#) अधिकारियों द्वारा अनुमोदन हेतु 3-4 दनि पूर्व भाषण प्रतलिख जमा करना होगा।
 - ECI के नषिधात्मक दशानरिदेश:
 - अन्य देशों की आलोचना;
 - धर्मों या समुदायों पर वाक् हमला;
 - अश्लील या अपमानजनक वषिय-वस्तु;
 - हसिा भडकाना;
 - न्यायालय की अवमानना;
 - राष्ट्रपति और न्यायपालिका के वरिद्ध आकषेप;
 - राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावति करने वाले कारक;
 - नाम लेकर वयक्तियों की आलोचना करना

नोट:

- ECI ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिये छह राष्ट्रीय दलों और 59 राज्य दलों को प्रसारण का समय आवंटति कयिा। राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर 4.5 घंटे मिले, बाकी 5.5 घंटे वर्ष [2019 के लोकसभा चुनाव](#) में उनके वोट शेयर के आधार पर मिले।

प्रसार भारती:

- यह वर्ष 1997 में प्रसार भारती अधनियिम के तहत स्थापति एक वैधानकि स्वायत्त नकियाय है। यह देश का सार्वजनकि सेवा प्रसारक भी है।
- इसमें दो मुख्य वगि शामिल हैं:
 - [ऑल इंडिया रेडियो \(AIR\)](#): देशभर में स्टेशनों के वशिलाल नेटवर्क वाला राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक।
 - [दूरदर्शन \(DD\)](#): राष्ट्रीय टेलीवज़िन प्रसारक, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रोग्रामगि का मशिरण पेश करता है।
- AIR और DD पूर्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों थीं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकियाय है ।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविद नपिताता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/election-rules-for-state-owned-media>

